न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2015/00136 (73/2015) **दायरा दिनांक : 21.04.2015**

उनवान

केसरी लाल पुत्र श्री लाल, जाति धाकड, निवासी आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र हर लाल, जाति धाकड
2. रामेश्वर पुत्र हर लाल, जाति धाकड
3. पुरूषोत्तम पुत्र हर लाल, जाति धाकड
4. काली बाई बेवा हर लाल, जाति धाकड
   निवासीगण आमापुरा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
5. पुष्प दयाल पुत्र चतुर्भुज, जाति धाकड
6. रामचन्द्र पुत्र चतुर्भुज, जाति धाकड
7. धन्नालाल पुत्र चतुर्भुज, जाति धाकड
   निवासीगण बहोद, तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
8. छीतरलाल पुत्र किशोर, जाति धाकड, निवासी डाबरी नक्की जी, तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 120/2010/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम आमापुरा, पटवार क्षेत्र कलमण्डा, तहसील बारां मे आराजी खसरा नंबर 56 रकबा 1.09 हेक्टेयर, खसरा नंबर 58/686 रकबा 1.62 हेक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 4.96 हक्टेयर, खसरा नंबर 104/674 रकबा 0.03 हेक्टेयर एंव खसरा नंबर 520 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल 5 किता रकबा 7.74 हेक्टेयर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नही करके उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। विवादित भूमियाँ पूर्व मे मथुरालाल पुत्र भेरूलाल की थी तथा मथुरालाल के फोत होने पर उसकी बेवा भेरी बेवा मथुरा लाल का नाम दर्ज हुआ। मथुरालाल के एक लडकी दोली बाई थी उसका नाम मथुरालाल के फोत होने के बाद राजस्व कर्मचारियो ने दर्ज नही किया एवं हरलाल ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर मथुरालाल की भूमियो मे 1/2 हिस्से में हरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड आमापुरा का नाम दर्ज करवा लिया जबकि मथुरालाल के कोई ओलाद नहीं थी तो मथुरालाल का भाई प्रताप था तथा प्रताप के दो लड़के श्रीलाल व रामनारायण थे तथा श्रीलाल के दो लडके केसरीलाल अपीलान्ट व हरलाल हुये किन्तु हरलाल ने 1/2 हिस्से में अपना नाम फर्जी दर्ज करवा लिया। मूलतः भूमियां मथुरालाल की थी और हरलाल ने अपने आपको मथुरालाल का दत्तक पुत्र बताकर 1/2 हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवा लिया किन्तु मथुरालाल द्वारा उसको न तो कभी गोद लिया गया और ना ही कोई रजिस्टर्ड गोद नामा है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में हरलाल पुत्र श्रीलाल ही दर्ज हुआ। हरलाल के आगे दत्तक पुत्र मथुरालाल दर्ज नहीं हुआ एवं हरलाल के बाप का नाम जो श्रीलाल था वही दर्ज हुआ। जबकि मथुरालाल के स्थान पर श्रीलाल के दोनो पुत्र केसरीलाल व हरलाल दर्ज होना चाहिये था किन्तु यही स्थिति चलती रही। इसके बाद में जब भैरी बाई फोत हुयी तब उनके स्थान पर 1/2 में दोली बाई का नाम दर्ज हो गया जबकि दोली का नाम तो मथुरालाल के फौत होने पर ही होना चाहिये। हरलाल ने अपना नाम शामलात में 1/2 में दर्ज होने का फायदा उठा कर दोली बाई की एक फर्जी वसीयत दिनांक 07.12.2009 को तैयार करके उसका हिस्सा भी हड़पने का प्रयास किया एवं वसीयत तैयार कर ली किन्तु यह वसीयत हरलाल के नाम की तैयार की गयी व हरलाल, दोली बाई के मरने से पूर्व में ही फोत हो गया। हरलाल का 1/2 हिस्सा चल रहा था उस पर उसके वारिसान जो रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 है का नाम दर्ज हो गया किन्तु अब दोली बाई का जो 1/2 हिस्सा था उसको हरलाल के वारिस अपने नाम कैसे दर्ज करवाये यह समस्या खडी हो गयी। इसलिये रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 का न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बारां मे पेश किया जो प्रकरण 120/10 है इसमे दोली बाई की वसीयत दिनांक 07.12.2009 को जो वाद में प्रदर्श 12 ए है, को आधार लेकर आये। इस प्रकरण मे हरलाल के वारिसान के अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया और ना ही अपीलान्ट को वाद की जानकारी होने दी। अपीलान्ट को जब वाद की जानकारी हुयी तो उसने दिनांक 24.04.2013 को आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश करके पक्षकार पक्षकार बनना चाहा जिसके जवाब में पत्रावती

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चलती रही एवं दिनाँक 17.03.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं दिनाँक 24.03.2015 को एक तरफा बहस सुनकर 30.03.2015 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अपीलान्ट को आदेश 1 नियम 10 दीवानी प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र खारिज करने की निगरानी के लिये समय भी नही दिया। फिर भी अपीलान्ट द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल में पेश कर दी है जो जैरकार है। इसके बावजूद भी दिनांक 30.03.2015 को दावा डिक्री कर दिया तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 ने दिनांक 07.04.2015 को इजराय पेश कर दी है एवं तुरन्त इजराय की पालना करवाकर विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है इससे न्यायालय की मंशा स्पष्ट जाहिर हो रही है कि वह ऐनकेन प्रकारेण रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 को फायदा पहुंचाना चाहते है इस कारण निर्णय व डिक्री 30.03.2015 दूषित हो गये है। अपीलांट द्वारा अपनी दूसरी भूमि के बाबत जो ग्राम आमापुरा मे श्रीलाल जी के खाते की थी उसमे हरलाल ने अपने जीवनकाल में यह जवाबदेही की है कि वह मथुरालाल के दत्तक नही गया। एक तरफ तो इस प्रकरण में हरलाल अपने आपको मथुरालाल का दत्तक बताता है तथा अन्य प्रकरण में वह अपने आपको मथुरालाल का दत्तक स्वीकार नही करता। इससे भी यह स्पष्ट है कि ऐनकेन प्रकारेण यह मथुरालाल को वादग्रस्त भूमियो को हडप करना चाहता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यो के अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली के निर्णय के लिये 6 तनकीयात कायम थी जो जिसमे तनकी नं. 3 व तनकी नं. 5 में दोली बाई की वसीयत दिनाँक 17.11.99 के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही थी एवं तनकी नं. 2 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गयी थी, अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 व 5 का विश्लेषण किया है, वह कतई कानून सम्मत नही है। अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 व 5 के बाबत केवल यह लिखा है कि वसीयत दिनांक 17.11.99 के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है। जबकि अनरजिस्टर्ड वसीयत को साबित करने के लिये साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाहान से प्रमाणित करवाया जाना जरूरी था किन्तु किसी भी गवाह को पेश नही किया एवं तनकी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के पक्ष में निर्णित कर दी गयी जो सर्वथा खिलाफ कानून है। तनकी नं. 2 भी जो हक मुखालफाना के आधार पर है उसको माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी फुल बेंच में यह माना है कि हक मुखालफाना के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत बतायी गयी है, वह वसीयत करने वाले के पहले ही फोत हो गयी, ऐसी स्थिति मे जिसके पक्ष में वसीयत है उसके वारिसान उस वसीयत से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते इस तथ्य की भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी की है। उपरोक्त मूल वाद में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया था उस आदेश की अपीलान्ट ने निगरानी राजस्व मण्डल में की हुयी है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में फैसला किया है इस कारण अपीलान्ट का अपील पेश करने का हक है इसके लिये अपीलांट अलग से अपील पेश करने के लिये अनुमति हेतु आवेदन पेश कर रहा है। अतः

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2015 प्रकरण संख्या 120/2010/दावा न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां निरस्त फरमाया जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पोडेंट ने जवाब दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसकी निगरानी हमने राजस्व मण्डल अजमेर में की। दौराने निगरानी अंतिम फैसला अधीनस्थ न्यायालय में होने से निगरानी पोषनीय नहीं होने से खारिज हो गयी। दौराने निगरानी आदेश 1 नियम 10 का अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय हुआ इसलिए हमें साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर नहीं मिला। इसलिए हम धारा 96 में अपील में आये हैं। हरलाल के वारिसान ने घोषणा का दावा किया। हरलाल को मथुरालाल का पुत्र घोषित कर 1/2 हिस्से से दोली बाई का नाम हटाया जाये यह अनुतोष चाहा। हरलाल का श्रीलाल की आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 183 प्रदर्श 10 में हरलाल को गोद लिया पुत्र माना है। नामान्तरकरण संख्या 183 से भेरी के 1/2 आराजी हरलाल के आयी और वारिसान के आधार पर दावा विरोधाभासी है। अतः हमें पक्षकार बनाते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वारिसान के आधार पर मथुरालाल ने दावा किया। हरलाल की मृत्यु के बाद वारिसान ने दावा किया। दोली के वारिसान ने इकबाली जवाब मय शपथ पत्र दिया है। दोली ने वसीयत की दोली के वारिसान को पक्षकार बनाया। मथुरालाल के अपीलांट वारिस नहीं है। प्रभावित पक्षकार नहीं होने से ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। वादग्रस्त आराजी वसीयत से प्राप्त हुई है दत्तक से नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया है कि ग्राम आमापुरा, तहसील बारां में आराजी खसरा नं. 56 रकबा 1.09 हेक्टर, खसरा नं. 58/686 रकबा 1.62 हेक्टर, खसरा नं. 104 रकबा 4.96 हेक्टर, खसरा नं. 104/674 रकबा 0.03 हेक्टर एवं खसरा नं. 520 रकबा 0.04 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 7.74 हेक्टर, स्थित है जिसे दावे में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में दोलीबाई पुत्री मथुरालाल हिस्सा 1/2, प्रेमचन्द, रामेश्वर, पुरूषोत्तम पुत्रगण हरलाल, कालीबाई बेवा हरलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दोली बाई का नाम गलत अंकित किया गया है। नामान्तरण संख्या 183 ग्राम कलमण्डा पंचायत ग्राम आमापुरा के अनुसार हरलाल ही आराजियात का एकमात्र वारिस है। दोलीबाई कभी भी आराजियात की स्वामिनी नहीं रही ना ही उसने कभी कोई आराजी काश्त की है। एक बार जब हरलाल को संपूर्ण आराजियात का खातेदार मान लिया गया तो उस आराजी पर बिना किसी वैधानिक प्रकिया के व बिना न्यायालयी आदेश के दोलीबाई का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। दोली बाई के नाते चले जाने से आराजियात में उसके हकूक स्वतः ही समाप्त हो गये है तथा दोलीबाई ने दिनांक 17.11.1999 को नोटेरी से प्रमाणित वसीयत हरलाल के पक्ष में निष्पादित कर अपने हक तर्क कर दिये जिसके कारण भी दोलीबाई का राजस्व रिकार्ड में नाम रहना सर्वथा अवैधानिक है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी कुल किता 5 रकबा 7.74 हेक्टर ग्राम आमापुरा तहसील बारां का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर वादीगण के खाते में दर्ज की जावे एवं उक्त आराजियात मे से दोलीबाई पुत्री मथुरालाल का नाम राजस्व रिकार्ड से निरस्त किया जावे तथा वादीगण के हक में स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी स्वयं या अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों द्वारा वर्णित आराजी को काश्त व उपयोग, उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं डाले ना अन्य से डलावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर मृतका भैरीबाई का नाम हटाकर संपूर्ण आराजी तहसीलदार बारां के आदेश एवं तहकीकात व फैसले के बाद हरलाल पुत्र श्रीलाल के नाम दर्ज हुई है। नामान्तकरण संख्या 183 दिनांक 22.07.1979 से बाद आदेश तहसील बारां तहकीकात व फैसले के अनुसार बाद जांच दोलीबाई को शादीशुदा मानते हुए उसका नाम दर्ज न करने के स्पष्ट निर्देश देते हुए हरलाल पुत्र श्रीलाल जो वादीगण का पिता था के नाम संपूर्ण आराजी दर्ज की गयी। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 2 ता 4 तथा उनकी मां दोलीबाई का कभी कोई लेना देना या कोई संबंध नहीं रहा है। दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही वादीगण का पिता हरलाल काबिज काश्त रहा है। प्रतिवादी कम 2 ता 4 की मां दोलीबाई ने दिनांक 17.11.1999 को अपनी वसीयत द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि उसके मरने के बाद उसकी संतानों का कोई हक दावे में वर्णित आराजियात में नहीं होगा। दावे में वर्णित आराजी में 1/2 नाम दोलीबाई का नाम गलत मानते हुए वसीयत में यह अधिकार दिया गया कि उसकी मृत्यु के बाद हरलाल ही एकमात्र अधिकारी होगा।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया जावे इसमें प्रतिवादी कम 2 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दोलीबाई का नाम खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट केसरीलाल पुत्र श्रीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट केसरी लाल पुत्र श्रीलाल द्वारा धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न ग्राम आमापुरा, तहसील बारां की जमाबंदी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 4 के अनुसार विवादित सम्पूर्ण आराजी मुस0 भेरी बेवा मथुरा, कोम धाकड के खाते दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2020 से 2023, 2024 से 2027, 2028 से 2031, 2032 से 2035, 2044 से 2047 प्रदर्श 5, 6, 7, 8, 9 के अनुसार विवादित आराजी मुस0 भेरी बेवा मथुरालाल हिस्सा 1/2, हरलाल पुत्र श्रीलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। हरलाल पुत्र श्रीलाल का नाम 1/2 हिस्से में नामान्तरकरण सं. 42 दिनांक 20.01.1963 से दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 42 में पटवारी रिपोर्ट, भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट भी नहीं है, फिर भी सरपंच द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर हरलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। नामान्तरकरण सं. 42 के सन्दर्भ में उक्त तथ्यों का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जवाब दिनांक 07.02.2011 में स्पष्ट अंकित है। खातेदार भेरी बेवा मथुरालाल की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं. 119 दिनांक 17.07.1990 से पुत्री दोली बाई का नाम भेरी बेवा मथुरालाल के स्थान पर दर्ज किया गया। उपरोक्त दोनों नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। नामान्तरकरण सं. 42 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की पुष्टि पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती। खातेदारी दोलीबाई पुत्री मथुरालाल द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 17.11.1999 को अपने खाते दर्ज विवादित आराजी हिस्सा 1/2 की वसीयत हरलाल पुत्र श्रीलाल के नाम आलेखित की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श 12 ए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मृत्यु प्रमाण हरलाल प्रदर्श 13ए एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दोलीबाई प्रदर्श 14ए के अनुसार वसीयतग्रहिता हरलाल की मृत्यु दिनांक 01.02.2007 को दोलीबाई वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 16.02.2009 से पहले हुई है। वसीयतग्रहिता की मृत्यु वसीयतकर्ता के पहले हो जाने से वसीयत का प्रभाव शून्य हो जाता है परन्तु वसीयतकर्ता दोलीबाई के वारिसान जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 2 लगायत 4 के रूप में पक्षकार संयोजित थे उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हरलाल के वारिसान वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पक्ष में इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद वादी अपनी माता दोलीबाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वादीगण के पक्ष में डिक्री करने हेतु सहमति दी है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रमाणित नकल पूर्व वाद पत्र सं. 124/2009 अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवान छीतरलाल बनाम रामचन्द्र प्रदर्श 15 प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र वादी छीतरलाल पुत्र किशोर वास्ते दावा संख्या 124/2009 खारिज करने बाबत प्रदर्श 16 एवं प्रमाणित नकल जवाबदावा वाद संख्या 124/2009 में प्रतिवादी रामचन्द्र, पुष्पदयाल, धन्नालाल पिसरान चतुर्भुज की ओर से प्रदर्श 17 के अनुसार भी दोलीबाई के वारिसान द्वारा हरलाल पुत्र श्रीलाल को ही समस्त विवादित आराजी का खातेदार और काबिज काश्त होना माना है। वादी छीतरलाल पुत्र किशोर ने अपना दावा खारिज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 16 में यह अंकित किया है कि केसरीलाल पुत्र श्रीलाल ने उक्त दावे में समस्त तथ्य झूठे, मिथ्या दर्ज कराये हैं। मेरे साथ छल कपटपूर्ण तरीके से मेरी वृद्धावस्था का दुरूपयोग, अपनी निजी स्वार्थपूर्ति के लिए हस्ताक्षर करवा कर दावा पेश किया है, जो काबिले खारिज है। वादी छीतरलाल, दोलीबाई एवं उसके पहले पति किशोर का पुत्र है एवं केसरीलाल पुत्र श्रीलाल वर्तमान अपीलांट है। वादी छीतरलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 124/2009 पूर्व में खारिज किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दोलीबाई की वसीयत पर दोलीबाई के विधिक वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है एवं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का दावा डिक्री करने की सहमति प्रदान की है। इसी प्रकार नामान्तरकरण सं. 42 जो हरलाल के पक्ष में दर्ज हुआ उसके विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में अपील की पुष्टि भी पत्रावली के अवलोकन से नहीं होती। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे अपीलांट विवादित आराजी एवं अपीलाधीन निर्णय में प्रभावित/हितबद्ध पक्षकार साबित हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुरूप होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा